इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 अगस्त 2026–भाद्र 2, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2026

क्र. 8194–177–इक्कीस–अ (प्रा.).– मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अगस्त 2026 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ **खरे**, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०२६

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२६

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. धारा १५ का संशोधन.

३. धारा ३४ का संशोधन.

४. धारा ५४ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०२६

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२६

[दिनांक २३ अगस्त, २०२६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ अगस्त, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

(ख) यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख से प्रवृत होगें, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है.

धारा १५ का संशोधन.

२. मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १५ में, उपधारा (३) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात, यदि ऐसी छूट के लिए प्रदायकर्ता द्वारा जमापत्र जारी किया गया है और इनपुट कर प्रत्यय, जो ऐसी छूट के कारण प्राप्त हुआ है, जिसे धारा ३४ के उपबंधों के अनुसार, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है.".

धारा ३४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (१) में, शब्द "दोनों में कमी पायी जाती है" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "या जहां धारा १५ की उपधारा (३) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई छूट दी जाती है", अन्त:स्थापित किए जाएं.

धारा ५४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५४ में,-

(क) उपधारा (६) में, शब्द "मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों", के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अंक "या उपधारा (३) के प्रथम परंतुक के खण्ड (दो) के अधीन अनुज्ञात अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय", अन्त:स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (१४) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन", के पश्चात्, शब्द "उन मामलों से भिन्न, जहां कर के संदाय के साथ भारत से निर्यात किए गए माल के कारण कर के प्रतिदाय का दावा किया गया है", अन्त:स्थापित किए जाएंगे.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2026

क्र. 8194–177–इक्कीस–अ (प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 13 OF 2026

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2026

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 15.
3. Amendment of Section 34.
4. Amendment of Section 54.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 13 OF 2026

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2026

[Received the assent of the Governor on the 12th August, 2026; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th August, 2026.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2026

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of the Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 15.

2. In Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Service, Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (3), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) after the supply has been effected, if for such discount, a credit note has been issued by the supplier and input tax credit, as is attributable to such discount, has been reversed by the recipient of the supply, in accordance with the provisions of Section 34.".

Amendment of Section 34.

3. In Section 34 of the principal Act, in sub-section (1), after words "both supplied are found to be deficient", the words, brackets, letter and figures "or where a discount referred to in clause (b) of sub-section (3) of Section 15 is given" shall be inserted.

Amendment of Section 54.

4. In Section 54 of the principal Act,-

(a) in sub-section (6), after the words "supply of goods or services or both", the words, brackets and figures "or of unutilized input tax credit allowed under clause (ii) of the first provision of sub-section (3)" shall be inserted;

(b) in sub-section (14), after the words, brackets and figures "sub-section (5) or sub-section (6)", the words ", other than cases, where refund of tax is claimed on account of goods exported out of India with payment of tax," shall be inserted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.